निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 06/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

आरीफ पुत्र हफीज खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम फिरोजपुरा उर्फ बीबीकाबाड तसील कोटखावदा

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गुलाब चन्द वर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर ।
2. संजीदा बेगम पत्नी मोहम्मद शब्बीर खां जाति मुसलमान, निवासी मीठी कोठी का रास्ता, सूरजपोल, जयपुर ।
3. बिस्मील्लाह बेगम पत्नी अब्दुल हकीम जाति मुसलमान, निवासी 106, रामगढ मोड, ब्रह्मपुरी जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 143/2023 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ब उनवानी संजीदा बेगम व अन्य बनाम आरिफ व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राकेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.02.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 143/2023 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ब उनवानी संजीदा बेगम व अन्य बनाम आरिफ व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पति व परिवार के लोगों की पहुंच राजनैतिक लोगों से है, जिसके चलते वह विचाराधीन वाद में अपने पक्ष में फैसला करवाने पर आदामा है जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 आये दिन प्रार्थी को एलानिया कहते रहते है कि हमारी जानकारी उपर तक है जिसके चलते हमारी बात पीठासीन अधिकारी से हो गई है और उक्त प्रकरण में फसैला हमारे मन माफिक होगा। पहले तो प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की बातों पर विश्वास नहीं था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त ता प्रकरण में आवश्यक रूची ले कर उक्त प्रकरण को आनन फानन में फैसला करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब के समय चाहा गया था, परन्तु बिना प्रार्थी को जबाब का अवसर दिये ही उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। इसलिए प्रार्थी को प्रार्थी संख्या 2 व 3 के उपरोक्त कथनों की सत्यता हुई तथा प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं रही है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि मिन अप्रार्थी ने एक दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रार्थी की प्रोपर तामील हुई थी। चूंकि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन लेने से इन्कार कर दिया था जिसकी रिपोर्ट पोस्टमैन ने कर उक्त सम्मन को वापस लौटा दिया था जिसके बाद न्यायालय द्वारा प्रार्थी की एक्स पार्टी कर दी गई थी तथा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी थी। चूंकि प्रार्थी को उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी थी। वह कैसे ना कैसे उक्त प्रकरण को लिंगरऑन कर तकासमें को टालना चाहता है जिस कारण से ही प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है है । प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र

जिला मजिस्ट्रेट
(ग्रामीण) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(जयपुर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner